

काई 02/05/2025
15/5

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या—NHM/BHDS/85/2025—~~वीरचन्द~~ 27- /कृ०, पटना, दिनांक 14/05/2025
प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवामें,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप
से परामर्शित।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2026-27 तक कुल दो वर्षों के लिए अंजीर फल विकास योजना हेतु 32.50 लाख (बत्तीस लाख पचास हजार) रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025-26 में 19.50 लाख (उन्नीस लाख पचास हजार) रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2026-27 तक कुल दो वर्षों के लिए अंजीर फल विकास योजना हेतु 32.50 लाख (बत्तीस लाख पचास हजार) रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025-26 में 19.50 लाख (उन्नीस लाख पचास हजार) रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंजीर के रकवा को बढ़ाते हुए उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों की आमदनी में वृद्धि करना है।
3. इस योजना का सूत्रण चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत DPR के तहत अंजीर फल को बढ़ावा देने हेतु किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अंजीर के पौध रोपण सामग्री हेतु ई-टेंडर प्रकाशन कर एजेंसी/आपूर्तिकर्ता का चयन किया जायेगा। स्वीकृत योजना संबंधित विस्तृत विवरणी अनुसूची-1 के रूप में संलग्न है।
4. इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के 32 जिलों यथा—अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, लखीसराय, मधेपुरा, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, जमूई, खगड़िया, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पश्चिम चम्पारण, पटना, पूर्वी चम्पारण, पूर्णियाँ, रोहतास, समस्तीपुर एवं वैशाली में किया जायेगा।
5. MIDH (राष्ट्रीय बागवानी मिशन) की मार्गदर्शिका के अनुसार अंजीर की खेती हेतु 4.0 x 4.0 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर 625 पौधा लगाने हेतु इकाई लागत 1,25,000.00 (एक लाख पच्चीस हजार) रुपये निर्धारित है। उक्त इकाई लागत 1,25,000.00 (एक लाख पच्चीस हजार) रुपये पर 40% अनुदान अर्थात् 50,000.00 (पचास हजार) रुपये प्रति हेक्टेयर दो किस्तों में दिया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान राशि का 60% अर्थात् 30,000.00 (तीस हजार) रुपये प्रति हेक्टेयर एवं द्वितीय किस्त में अनुदान का शेष 40% अर्थात् 20,000.00 (बीस हजार) रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में

अनुदान की प्रथम किस्त की राशि प्रति हेक्टेयर 625 पौधों की दर से प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के सत्यापन में सही पाए गए पौधों की संख्या के आधार पर आपूर्तिकर्ता /चयनित किसानों को सहायक निदेशक, उद्यान द्वारा नियमानुसार अनुदान भुगतान किया जायेगा एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान की द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान 80% पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन के पश्चात् संतुष्ट होने पर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा दिया जायेगा।

6. अंजीर की खेती मुख्य रूप से लघु एवं सीमांत कृषकों के द्वारा की जाती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) के लिए देय होगा।
7. इस योजना का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची-2 के रूप में संलग्न है। इस योजना का कार्यान्वयन संलग्न अनुसूची-2 के आलोक में राज्य के संबंधित जिलों के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा।
8. लाभुकों का चयन सामान्य क्षेत्रीय में 78.537 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.463 प्रतिशत के अनुपात में किया जायेगा एवं प्रत्येक श्रेणी में न्यूनतम 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जायेगा।
9. इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का DBT पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक होगा। योजना का लाभ लेने हेतु कृषकों का चयन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किया जायेगा।
10. डी.बी.टी. पोर्टल पर पंजीकृत कृषक के द्वारा <http://horticulture.bihar.gov.in> "योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन करें" लिंक पर Click कर Dashboard पर उपलब्ध "अंजीर फल विकास योजना" "आवेदन करें" लिंक पर जाकर आवेदन किया जायेगा।

DBT कार्यक्रम के तहत लाभुकों को अनुमान्य अनुदान की भुगतान दो विधि In cash transfer या In Kind Transfer में से किसी भी विधि से किया जा सकता है, बशर्ते कि लाभुक कृषकों का Biometric Authentication उनके आधार नम्बर के साथ हो।

11. योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची-2 एवं 3 के अनुसार संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान- सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्त विभागीय पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 का अनुपालन करते हुए संबंधित जिला के कोषागार से Form No. BTC- 25 पर CFMS 2.0 के माध्यम से किया जायेगा।
12. योजना कार्यान्वयन के क्रम में यथावश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अधीन किया जा सकेगा।
13. योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा प्रशासी विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि से 18 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा बिहार वित्तीय नियमावली 2005 (यथा संशोधित) के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना अंतर्गत व्यय किया जायेगा।
15. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, उद्यान, बिहार होंगे।

16. इस योजनान्तर्गत कुल 2600 मानव दिवस सृजन होने की संभावना है।
17. इस योजना हेतु 33-01 सब्सिडी विषय शीर्ष से स्वीकृति दी जा रही है परन्तु इस शीर्ष में बजट उपबंध उपलब्ध नहीं है। उद्यान निदेशालय के लिए राज्य योजना मद में 31-06 सहायक अनुदान – गैर वेतन विषय शीर्ष में बजट उपबंध उपबंधित है परन्तु इस विषय शीर्ष में वित्त विभागीय परामर्श अनुसार विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि स्वीकृत/आवंटित करना नियमानुकूल नहीं होने के कारण निदेशक, उद्यान द्वारा सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित राशि को 33-01 सब्सिडी, 28-02 संविदा सेवाएं मद एवं 13-01 कार्यालय व्यय मद में उपबंधित करने हेतु बजट पदाधिकारी –सह- उप सचिव, कृषि विभाग, बिहार से अनुरोध किया गया है। 33-01 सब्सिडी मद में वित्त विभाग द्वारा राशि उपबंधित होने के पश्चात् ही इस योजना हेतु स्वीकृत राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।
18. वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:-

(राशि लाख रुपये में)		
बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0101- उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01- 2401001190101, विषय शीर्ष 0101.33.01 सब्सिडी	19084.491	15.31465
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0130- उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01- 2401007890130, विषय शीर्ष 0130.33.01 सब्सिडी	4860.000	3.90000
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0152- उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01- 2401007960152, विषय शीर्ष 0152.33.01 सब्सिडी	355.509	0.28535
कुल योग	24300.000	19.50000
उद्यान निदेशालय के पत्रांक-431 दिनांक-18.04.2025 के द्वारा विषयशीर्ष 31-06 सहायक अनुदान गैर वेतन में उपलब्ध उपबंधित राशि को विषयशीर्षवार 33-01 सब्सिडी, 28-02 संविदा सेवाएं मद एवं 13-01 कार्यालय व्यय मद में उपलब्ध कराने हेतु उप सचिव-सह-बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग से अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के आलोक में विषयशीर्षवार राशि का उपबंध अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त होने के पश्चात् ही राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।		

19. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 तथा पत्रांक-201 दिनांक-13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक 07.05.2025 को सचिव, कृषि की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में अनुशंसा प्राप्त है। योजना प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या NHM/BHDS/85/2025 के पृ0सं0- 18/टि0 पर दिनांक- 13.05.2025 को प्राप्त है।
20. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
21. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-NHM/BHDS/85/2025 के पृष्ठ संख्या-20/टि० दिनांक-14.05.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या-309 दिनांक-14.05.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— NHM/BHDS/85/2025— ~~पीपीएलएच~~ - 27 - /कृ०, पटना, दिनांक 14/05/2025
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— NHM/BHDS/85/2025— ~~पीपीएलएच~~ - 27 - /कृ०, पटना, दिनांक 14/05/2025
प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

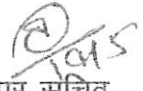
ज्ञापांक— NHM/BHDS/85/2025— ~~पीपीएलएच~~ - 27 - /कृ०, पटना, दिनांक 14/05/2025
प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

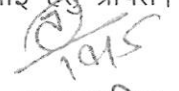
ज्ञापांक— NHM/BHDS/85/2025— ~~पीपीएलएच~~ - 27 - /कृ०, पटना, दिनांक 14/05/2025
प्रतिलिपि : संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— NHM/BHDS/85/2025— ~~पीपीएलएच~~ - 27 - /कृ०, पटना, दिनांक 14/05/2025
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान
आप्त सचिव/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि
विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/सभी संयुक्त निदेशक
(शष्य)/संबंधित उप निदेशक, उद्यान/संबंधित सहायक निदेशक उद्यान, बिहार,
पटना/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा, (सचिवालय एवं
निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— NHM/BHDS/85/2025— ~~पीपीएलएच~~ - 27 - /कृ०, पटना, दिनांक 14/05/2025
प्रतिलिपि : उप कृषि निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर,
कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं
कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।



अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।



अनुसूची-1

वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 कुल दो वर्षों के लिए राज्य मद से अंजीर फल विकास योजना का कार्य योजना

(राशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	अवयव	इकाई लागत/हे०	सहायता अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की राशि/हे०	वित्तीय वर्ष 2025-26 में देय अनुदान की राशि	वित्तीय वर्ष 2026-27 में देय अनुदान की राशि	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अंजीर का क्षेत्र विस्तार	1.25	40%	0.5	अनुदान की राशि का 60% (0.30000)	-	65.00	19.50
2	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2025-26 में लगाए गए अंजीर का 1st Year Maintenance				-	अनुदान की राशि का 40% (0.20000)	65.00	13.00
कुल :-								32.50


(राकेश कुमार)


निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।
(अभिषेक कुमार)

अनुसूची-2

वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 कुल दो वर्षों के लिए राज्य स्कीम मद से अंजीर फल विकास योजना का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(भौतिक हे० में एवं वित्तीय लाख रुपये में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
			वित्तीय वर्ष 2025-26 का वित्तीय लक्ष्य (@0.30000 लाख/हे०)	वित्तीय वर्ष 2026-27 का वित्तीय लक्ष्य (@0.20000 लाख/हे०)	कुल (5+6)
1	2	3	4	5	6
1	सहायक निदेशक उद्यान, अरवल	2	0.60	0.40	1.00
2	सहायक निदेशक उद्यान, भोजपुर	2	0.60	0.40	1.00
3	सहायक निदेशक उद्यान, बक्सर	1	0.30	0.20	0.50
4	सहायक निदेशक उद्यान, गोपालगंज	2	0.60	0.40	1.00
5	सहायक निदेशक उद्यान, जहानाबाद	2	0.60	0.40	1.00
6	सहायक निदेशक उद्यान, लखीसराय	2	0.60	0.40	1.00
7	सहायक निदेशक उद्यान, मधेपुरा	1	0.30	0.20	0.50
8	सहायक निदेशक उद्यान, सारण	1	0.30	0.20	0.50
9	सहायक निदेशक उद्यान, शिवहर	1	0.30	0.20	0.50
10	सहायक निदेशक उद्यान, सीतामढ़ी	1	0.30	0.20	0.50
11	सहायक निदेशक उद्यान, सीवान	2	0.60	0.40	1.00
12	सहायक निदेशक उद्यान, सुपौल	1	0.30	0.20	0.50
13	सहायक निदेशक उद्यान, अररिया	2	0.60	0.40	1.00
14	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद	2	0.60	0.40	1.00
15	सहायक निदेशक उद्यान, बेगुसराय	1	0.30	0.20	0.50
16	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	5	1.50	1.00	2.50
17	सहायक निदेशक उद्यान, दरभंगा	1	0.30	0.20	0.50
18	सहायक निदेशक उद्यान, गया	5	1.50	1.00	2.50
19	सहायक निदेशक उद्यान, जमुई	2	0.60	0.40	1.00
20	सहायक निदेशक उद्यान, खगड़िया	1	0.30	0.20	0.50
21	सहायक निदेशक उद्यान, किशनगंज	2	0.60	0.40	1.00
22	सहायक निदेशक उद्यान, मधुबनी	5	1.50	1.00	2.50
23	सहायक निदेशक उद्यान, मुंगेर	4	1.20	0.80	2.00
24	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर	3	0.90	0.60	1.50

(सत्यं कुमार)

(अभिषेक कुमार)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
			वित्तीय वर्ष 2025-26 का वित्तीय लक्ष्य (@0.30000 लाख/हे०)	वित्तीय वर्ष 2026-27 का वित्तीय लक्ष्य (@0.20000 लाख/हे०)	कुल (5+6)
1	2	3	4	5	6
25	सहायक निदेशक उद्यान, नालंदा	2	0.60	0.40	1.00
26	सहायक निदेशक उद्यान, पश्चिम चम्पारण	3	0.90	0.60	1.50
27	सहायक निदेशक उद्यान, पटना	1	0.30	0.20	0.50
28	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्वी चम्पारण	2	0.60	0.40	1.00
29	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णियाँ	2	0.60	0.40	1.00
30	सहायक निदेशक उद्यान, रोहतास	1	0.30	0.20	0.50
31	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर	2	0.60	0.40	1.00
32	सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली	1	0.30	0.20	0.50
कुल		65	19.50	13.00	32.50

(राकेश कुमार)

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।
(अभिषेक कुमार)

अनुसूची-3

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य स्कीम मद से अंजीर फल विकास योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य						
(भौतिक हे० में एवं वित्तीय लाख रुपये में)						
क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य			
			सामान्य श्रेणी @78.537%	अनुसूचित जाति @20%	अनुसूचित जनजाति @1.463%	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक निदेशक उद्यान, अरवल	2	0.47122	0.12000	0.00878	0.60000
2	सहायक निदेशक उद्यान, भोजपुर	2	0.47122	0.12000	0.00878	0.60000
3	सहायक निदेशक उद्यान, बक्सर	1	0.23561	0.06000	0.00439	0.30000
4	सहायक निदेशक उद्यान, गोपालगंज	2	0.47122	0.12000	0.00878	0.60000
5	सहायक निदेशक उद्यान, जहानाबाद	2	0.47122	0.12000	0.00878	0.60000
6	सहायक निदेशक उद्यान, लखीसराय	2	0.47122	0.12000	0.00878	0.60000
7	सहायक निदेशक उद्यान, मधेपुरा	1	0.23561	0.06000	0.00439	0.30000
8	सहायक निदेशक उद्यान, सारण	1	0.23561	0.06000	0.00439	0.30000
9	सहायक निदेशक उद्यान, शिवहर	1	0.23561	0.06000	0.00439	0.30000
10	सहायक निदेशक उद्यान, सीतामढ़ी	1	0.23561	0.06000	0.00439	0.30000
11	सहायक निदेशक उद्यान, सीवान	2	0.47122	0.12000	0.00878	0.60000
12	सहायक निदेशक उद्यान, सुपौल	1	0.23561	0.06000	0.00439	0.30000
13	सहायक निदेशक उद्यान, अररिया	2	0.47122	0.12000	0.00878	0.60000
14	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद	2	0.47122	0.12000	0.00878	0.60000
15	सहायक निदेशक उद्यान, बेगुसराय	1	0.23561	0.06000	0.00439	0.30000
16	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	5	1.17805	0.30000	0.02195	1.50000
17	सहायक निदेशक उद्यान, दरभंगा	1	0.23561	0.06000	0.00439	0.30000
18	सहायक निदेशक उद्यान, गया	5	1.17805	0.30000	0.02195	1.50000
19	सहायक निदेशक उद्यान, जमुई	2	0.47122	0.12000	0.00878	0.60000
20	सहायक निदेशक उद्यान, खगड़िया	1	0.23561	0.06000	0.00439	0.30000

(अभिषेक कुमार)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य			
			सामान्य श्रेणी @78.537%	अनुसूचित जाति @20%	अनुसूचित जनजाति @1.463%	कुल
1	2	3	4	5	6	7
21	सहायक निदेशक उद्यान, किशनगंज	2	0.47122	0.12000	0.00878	0.60000
22	सहायक निदेशक उद्यान, मधुबनी	5	1.17805	0.30000	0.02195	1.50000
23	सहायक निदेशक उद्यान, मुंगेर	4	0.94244	0.24000	0.01756	1.20000
24	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर	3	0.70683	0.18000	0.01317	0.90000
25	सहायक निदेशक उद्यान, नालंदा	2	0.47122	0.12000	0.00878	0.60000
26	सहायक निदेशक उद्यान, पश्चिम चम्पारण	3	0.70683	0.18000	0.01317	0.90000
27	सहायक निदेशक उद्यान, पटना	1	0.23561	0.06000	0.00439	0.30000
28	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्वी चम्पारण	2	0.47122	0.12000	0.00878	0.60000
29	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णियाँ	2	0.47122	0.12000	0.00878	0.60000
30	सहायक निदेशक उद्यान, रोहतास	1	0.23561	0.06000	0.00439	0.30000
31	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर	2	0.47122	0.12000	0.00878	0.60000
32	सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली	1	0.23561	0.06000	0.00439	0.30000
कुल		65	15.31465	3.90000	0.28535	19.50000

(राकेश कुमार)

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।

(अभिषेक कुमार)